CANCELLED

समक्ष– न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प जबलपुर म.प्र.

I/निगरानी/म०डला/भू०रा/2018/0684

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण कमांक ———— / 18

501

श्री ...... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
09 JAN 2018
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

पुनरीक्षणकर्ताः– हरिसिंह ठाकुर पिता खूब सिंह ठाकुर उम्र लगभग 72 वर्ष निवासी–वार्ड नं 11–नैनपुर तहसील नैनपुर जिला–मण्डला

विरूद्व

उत्तराथीगणः– 1– संजय कुमार वल्द दीपचंद जैन नि नैनपुर वार्ड नं 15 तहसील नैनपुर जिला मण्डला ।

2– अनुविभागीय अधिकारी नैनपुर तहसील नैनपुर जिला–मण्डला

3– तहसीलदार नैनपुर तहसील नैनपुर जिला–मण्डला

4– अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग,जबलपुर

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षण कर्ता न्यायालय अपर आयक्त जबलपुर के प्रकरण कमांक 142/अ–68/15–16 आदेश दिनांक 14/12/17 उत्पन्न द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नैनपुर के राजस्व अपील प्रकरण कमांक 25(अ–68)/2014–15 आदेश दिनांक 21/7/2015 से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है:–

पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित निवेदन करता है किः–

प्रकरण के तथ्य

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/मण्डला/भू.रा./2018/684 **जिला** – मण्डला

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.2.18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण संहिता की धारा 248 का है। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त ने अभिलेख के अवलोकन एवं उभयपक्षों को सुनने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक का विवादित भूमि पर कब्जा है परंतु आवेदक द्वारा किस दस्तावेज के आधार पर उसके द्वारा कब्जा किया गया है वह यह बताने में असमर्थ रहे हैं। उक्त कारणों से विद्वान आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा गया है। प्रकरण में तीनों समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप को कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रशासकीय सदस्य	